अतिमहत्वपूर्ण / फैक्स द्वारा
संख्या–466 / 52–3–2013–14(72) / 95टी0सी0

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 2013

विषयः–केन्द्र पुरोनिधनित मदरसा / मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परम्परागत धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं में आधुनिक विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सांईस किट / मैथ किट के कय, पुस्तकालय व कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु सामग्री कय करने की प्रकिया के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–2663 / अ0स0क0नि0 / मद आधु0पु0 / 2011, दिनांक 18.10.2012 तथा पत्र सं0–3421 / अ0स0क0नि0 / मद आधु0पु0 / 2011, दिनांक 21.12.2012के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र पुरोनिधनित मदरसा / मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परम्परागत धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं में आधुनिक विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सांइस किट / मेथ किट के कय, पुस्तकालय व कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु निम्नाकिंत प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

(1) मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कय की जाने वाली सामग्री यथा–साइंस किट, मैथ किट, पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों का कय व फर्नीचर आदि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से कय किया जायेगा।

(2) इस योजनान्तर्गत सामग्री व पुस्तकों के चयन हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूलों में प्रयोग की जा रही सामग्री व पुस्तकों में से मदरसों में कक्षा के अनुसार आवश्यक / उपयोगी सामग्री / पुस्तकों का चयन करके तथा उनकी दरें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की मुख्य शाखा से प्राप्त कर सामग्री / पुस्तकों की सूची व प्राप्त दरों की सूची निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ, संबंधित जिलाधिकारियों तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त सामग्री केन्द्रीय स्तर पर कय किये जाने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सामग्री के कय हेतु आपूर्ति आदेश जनपदो के मदरसो की सूची जिसमें सामग्री आपूर्ति की जानी है, सहित उ0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की मुख्य शाखा को उपलब्ध करायेंगे। उ0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की मुख्य शाखा उक्त आपूर्ति आदेशो के सापेक्ष संबंधित जनपदो के जिलाधिकारियों की देख–रेख में संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जनपदों के मदरसो को सामग्री की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को भाड़े इत्यादि के रूप में अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी। जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कराकर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह पर शासन को उपलब्ध करायें।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही रू0 50,000 / – प्रति मदरसे की धनराशि में से एक धनराशि

G.O. mohan

निश्चित कर उसके सापेक्ष मदरसों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में प्रकाशित होने वाली पत्र–पत्रिकायें (प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, कम्पीटीशन सक्सेश रिव्यू, योजना कुरूक्षेत्र, रोजगार–समाचार आदि) का क्रय भी किया जायेगा।

(4) उक्त के अतिरिक्त मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कम्प्यूटर्स आदि का क्रय आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–08/78–आई0 टी0–2–2001 दिनांक 12.9.2001, शासनादेश संख्या–785/78–आई0टी0–2–2001 दिनांक 25.7.2004 तथा शासनादेश संख्या–137/78–आई0टी0–2–2006 दिनांक 19.1.2006 की व्यवस्थानुसार यू0पी0 डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, अपट्रान पावर इण्डिया लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 से सीधे कम्प्यूटर्स आदि का क्रय किया जायेगा। उक्त निमित्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मदरसों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार एच0सी0एल0 कम्पनी के कम्प्यूटर्स आदि की दरें यू0पी0 डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, अपट्रान पावर इण्डिया लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 से प्राप्त करके न्यूनतम दर के आधार पर कम्प्यूटर्स तथा कम्प्यूटर्स हार्डवेयर व साफ्टवेयर का क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाले कम्प्यूटर्स की वारंटी अवधि 03 वर्ष की होगी तथा यू0पी0एस0 के रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। मदरसों में कम्प्यूटर आदि की आपूर्ति हेतु संस्था को अलग से कोई अन्य खर्च देय नही होगा।

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्व की भांति डायट के माध्यम से कराया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ताकि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव।

संख्या–466(1)/52–3–13तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3– निदेशक, उ0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जवाहर भवन लखनऊ को उनके प्रस्ताव संख्या–62 डब्लू0बी0–32/2013 दिनांक 24.1.2013 के संदर्भ में।
4– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव।

G.O. mohan